**अज अदालतः- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू**
**विकासचन्द्र नेहरा बनाम राकेश शर्मा**
**फौज० प्रकरण सं० 1077/2021**

| तारीख मुकदमा | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | |
|---|---|---|
| 05.07.2024 | परिवादी के अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त मय अधिवक्ता उपस्थित।<br>इस आदेश द्वारा प्रार्थी/परिवादी विकासचन्द्र द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र(दिनांकित 07.07.2023) का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब अप्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.05.2024 को इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।<br>बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी/परिवादी ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि परिवादी द्वारा अभियुक्त विरुद्ध हस्तगत परिवाद न्यायालय में पेश करने पर अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा धारा 138 एन.आई एक्ट का परिवाद पेश किया गया था। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थी परिवादी को 20 प्रतिशत राशि को आईंदा अप्रार्थी के विरुद्ध स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/परिवादी को चैक में वर्णित राशि का 20 प्रतिशत दिलावये जाने हेतु निवेदन किया है। अतः उक्त 20 प्रतिशत राशि प्रार्थी परिवादी को मुल्जिम से दिलवाये जाने की कृपा करें।<br>जबकि दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी/अभियुक्त ने जवाब प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया प्रार्थी ने अप्रार्थी के चैक का दुरूपयोग करके यह परिवाद न्यायालय में पेश किया है एवं चैके के दुरूपयोग होने की स्थिति बाद साक्ष्य साफ हो जायेगी इसलिये अभी तय किया जाना आवश्यक नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी अपने निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया है कि चैक राशि की 20 प्रतिशत दी जानी आवश्यक नहीं है ऐसे में जो प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है वह अस्वीकार कर खारिज किया जावे।<br>सुना गया। उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली व संबंधित विधि का अवलोकन किया गया। न्यायालय के विनम्र मत में धारा 143(A) NI Act की उपधाराओं में यह विधिक प्रावधान है कि (1) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, the Court trying an offence under section 138 may order the drawer of the cheque to pay interim compensation to the complainant— (a) in a summary trial or a summons case, where he pleads not guilty to the accusation made in the complaint; and (b) in any other case, upon framing of charge.<br>(2) The interim compensation under sub-section (1) shall not | |

exceed twenty percent of the amount of the cheque. (3) The interim compensation shall be paid within sixty days from the date of the order under sub-section (1), or within such further period not exceeding thirty days as may be directed by the Court on sufficient cause being shown by the drawer of the cheque.

जहां तक विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/अभियुक्त के इन कथनों का प्रश्न है कि परिवाद में वर्णित चैक का प्रार्थी दुरूपयोग किया गया है, जिसके संबंध में निर्णय होना शेष है। ऐसे में प्रार्थी/परिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार न किया जावे। तो न्यायालय के विनम्र मत में यह तथ्य बाद साक्ष्य ही निर्धारित किया जा सकता है परंतु इस स्तर पर उपरोक्त विधिक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए अप्रार्थी/अभियुक्त को निर्देशित किया जाता है कि वह चैक में वर्णित राशि का 10 प्रतिशत Amount एक माह के भीतर परिवादी को भुगतान करे। हालांकि उपरोक्त 10 प्रतिशत राशि दिलवाया जाना Mandatory नहीं है परंतु प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी/परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते जमा होने राशि/साक्ष्य परिवादी हेतु दिनांक 13.08.2024 को पेश हो।